आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र

सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न

(Frequently Asked Questions)

1. यह आवेदन प्रपत्र किन पाठ्यक्रमों व महाविद्यालयों पर लागू है? इसके माध्यम से क्या मैं राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता हूं ?

उत्तरः यह प्रपत्र आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के अन्तर्गत संचालित सामान्य शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों (जिनमें ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया नहीं है) पर लागू है, परन्तु राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस में यह लागू नहीं है।

2. क्या एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने का कोई शुल्क है ?

उत्तरः नहीं, इसका कोई शुल्क नहीं है न ही इस फार्म को भरकर महाविद्यालय में जमा करवाते समय आपको संबंधित महाविद्यालय में कोई शुल्क देना होगा। अस्थाई प्रवेश सूची में आपका नाम आने की स्थिति में आपको महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा।

3. क्या एकीकृत प्रवेश आवेदन स्वीकार करने वाले महाविद्यालयों में आरक्षण व बोनस का लाभ दिया जाएगा ?

उत्तरः हां। एकीकृत प्रवेश आवेदन स्वीकारकरने वाले महाविद्यालयों व ऑनलाइन प्रवेश देने वाले राजकीय महाविद्यालयों के आरक्षण व बोनस संबन्धित नियम एक समान हैं। आरक्षण व बोनस का लाभ राजकीय महाविद्यालयों के लिए जारी प्रवेश नीति के अनुसार दिया जाता है।

4. क्या मैं एक आवेदन पत्र के माध्यम से एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकता हूँ ?

उत्तरः नहीं, एक आवेदन पत्र में सिर्फ एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि आप एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग–अलग आवेदन करें।

5. मैंने गतवर्ष ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। क्या मुझे स्नातक द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश नवीनीकरण हेतु यह आवेदन प्रपत्र भरना होगा ?

उत्तरः नहीं, प्रवेश के नवीनीकरण हेतु कोई फार्म नहीं भरा जाना है। नवीनीकरण हेतु आप निर्धारित तिथि से पूर्व महाविद्यालय में शुल्क जमा करवा दें तथा सत्र के प्रथम दिवस से कक्षाओं में उपस्थित हों।

6 यह आवेदन मुझे कहां जमा कराना होगा ?

उत्तरः एकीकृत प्रवेश आवेदन स्वीकार करने वाले राजकीय महाविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उस महाविद्यालय में पूर्ण भरा आवेदन पत्र मय संलग्नकों के जमा कराएं। प्रवेश आवेदन प्रपत्र जिस महाविद्यालय में जमा करवाया गया है वहीं इस पर विचार किया जाएगा।

7. क्या कोई प्रविष्टियां अधूरी छोड़ने पर मुझसे सम्पर्क कर ''कमी पूर्ति'' का अवसर दिया जाएगा ?

उत्तरः नहीं, यदि आपने आवेदन में कोई कमियां छोड़ी हैं तो इनकी पूर्ति या स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु आपसे सम्पर्क नहीं किया जाएगा। इस तथ्य का ध्यान रखते हुए आप एक बार में ही समस्त वांछित सूचना सही–सही भरी जावें।

8. मैंने एकीकृत प्रवेश आवेदन एक ऐसे महाविद्यालय में जमा करा दिया है जहां मैं प्रवेश नहीं चाहता हूं। क्या मैं इसे अपनी पसन्द के महाविद्यालय में स्थानान्तरित करवा सकता हूं ?

उत्तरः नहीं, एक बार जमा करवाए जा चुके आवेदन प्रपत्र के स्थानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है। यदि प्रवेश के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि व्यतीत नहीं हुई है तो आप एक नया आवेदन पत्र भरकर आपकी पसन्द के महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं।

9. मैं एक ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहता हूं जो स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रम है। क्या इसके लिए एकीकृत प्रवेश आवेदन स्वीकार किया जाएगा?

उत्तरः राजकीय महाविद्यालयों के वे स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन नहीं है में यह आवेदन पत्र स्वीकार्य है।

10. क्या मैं यह आवेदन पत्र डाक से महाविद्यालय में भेज सकता हूं ?

उत्तरः हां, डाक से भेजते समय यह ध्यान रखें कि आवेदन निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व संबंधित महाविद्यालय में पहुंचना चाहिए।

11. मैं आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) देखना चाहता हूं। क्या अब मुझे विवरणिका उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी ?

उत्तरः विवरणिका डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। आप इसे कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर संबन्धित महाविद्यालय के 'एडमिशन' वेबपेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

12. वेब के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तरः पहले आपको आवेदन प्रपत्र व विवरणिका क्रय करने हेतु महाविद्यालय तक जाना होता था। आपकी सुविधा के लिए आवेदन प्रपत्र व विवरणिका वेब पर भी उपलब्ध करवा दिये गये है। आप एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट आउट लेकर इसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर तथा समस्त आवश्यक संलग्नक लगाकर प्रवेश की अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवा सकते है। प्रवेश नीति तथा शेष प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

13. क्या मुझे एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र के अतिरिक्त कोई और प्रपत्र नहीं भरना होगा?

उत्तरः एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र प्रवेश के लिए किया गया आवेदन है। यदि आपका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तथा आपका नाम प्रवेश की अस्थाई मेरिट सूची में आता है तो आपको महाविद्यालय के निर्देशानुसार व आपकी आवश्यकतानुसार कुछ प्रपत्र भरने हो सकते हैं जिनकी जानकारी आप संबन्धित महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

14. क्या निजी महाविद्यालय यह आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेंगे ?

उत्तरः नहीं, निजी महाविद्यालय यह प्रपत्र स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

15. मैं एक निजी महाविद्यालय संचालित करता हूं। क्या मैं एकीकृत आवेदन प्रपत्र को अपने महाविद्यालय में लागू कर सकता हूं ? क्या इसके लिए मुझे किसी से अनुमति लेनी होगी ?

उत्तरः आप आवेदन प्रपत्र को आपके महाविद्यालय में लागू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यदि आप हमें यह सूचित करेंगे कि आपने एकीकृत प्रवेश प्रपत्र स्वीकार कर लिया है तो हमें हर्ष होगा।